15-1-2015 वकील उपस्थित आए। प्रकरण सर्वीना पत्र
पूर्व में। संक्षिप्त में निवेदन इस प्रकार है
कि सर्वीना हेतु सर्वीना पत्र प्रस्तुत किया गया है
कि सर्वीना हेतु सर्वीना पत्र प्रस्तुत किया गया है
कि मौजा गिलूंदर की खसरा नम्बर
855 में स्थित आराजियात से सर्वीना के दावों
लेखा 1, 2 संयुक्त खातेदारी से दर्ज रहा है।
अतः सर्वीना बिना किसी वैध विभाजन के मौजा स्थिति
में परिवर्तन करना चाहते हैं। अतः अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील अपीली
द्वारा उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये
सर्वीना पत्र स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।
हमने संपूर्ण पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों
का अवलोकन किया। संयुक्त खातेदारी हक से
दर्ज आराजियात पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाकर खातेदारान को अपने हक हिस्से के
उपभोग, उपयोग करने से वंचित किया जाना
उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टिया मामला,
सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति सर्वीना के
पक्ष में नहीं बनता है। अतः सर्वीना का सर्वीना
पत्र इसी स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली
केवल मूसल होकर संकट के रूप हो। आदेश सुनाया
गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़